08/02/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी प्रार्थना पत्र/ वादीगण का कथन है कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पेश किया गया है उसमें प्रत्येक खसरा नम्बर में खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ता नहीं दिया गया है। विभाजन प्रस्ताव की मद नं. 5 में 22 खसरा नम्बर संयुक्त खातेदार/सभी खातेदारान को संयुक्त रूप से दिया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव में खातेदारान को उनकी जमाबंदी में दर्ज हिस्से [illegible] व अधिक भूमि दी गयी है जो कि तर्क संगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.24 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

— लगातार —

तारीख
हुकम

आपत्ति स्वीकार किया जावें एवं विभाजन प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जावें एवं पुनः तहसीलदार नीमकाथाना से न्यायालय के आदेश दिनांक 19/2/2018 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि जो आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर पेश की गई है वह गलत तथ्य अंकित कर पेश की गई है। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारो को रास्ता दिया गया है। अधिक रास्ते दिये जाने से भूमि रास्तो में ही चली जावेगी कृषि योग्य भूमि ही नही रहेगी। विभाजन प्रस्ताव में मौके पर कब्जे काश्त व रिकार्ड अनुसार ही भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है। आपत्ति निराधार व प्रकरण को देरी करने की गर्ज से पेश की गई है। अतः आपत्ति प्रा० पत्र खारिज किया जावें व विभाजन प्रस्ताव अनुसार एफ० डी जारी की जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज, प्राथमिक निर्णय व डिक्री, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि [illegible] से दावा प्राथमिक का [illegible] किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.24 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिसमें खातेदारान को पहुंच हेतु रास्ता भी दिया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा कब्जा काश्त व रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की खामी होना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादीगण सं. 1व2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण व प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.24 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)